[2023] 12 एस. सी. आर 556:2023 आई. एन. एस. सी. 853

मामलों का विवरण

स्वीटी कुमारी बनाम।

बिहार राज्य और अन्य (2023 की सिविल अपील संख्या 6072) 22 सितंबर, 2023

[जे. के. माहेश्वरी और के. वी. विश्वनाथन, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःक्या बिहार लोक सेवा आयोग (बी. पी. एस. सी.) द्वारा साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अपीलार्थियों की उम्मीदवारी की अस्वीकृति न्यायसंगत है और अपीलार्थियों को क्या राहत दी जा सकती है।

बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (भर्ती), नियम, 1955–आर.7(ख), 9–साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना–उम्मीदवारी को अस्वीकार करना–अनुज्ञेयः

आयोजित किया गयाःनियमों की भाषा यह स्पष्ट करती है कि साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र का उत्पादन अनिवार्य नहीं था, बल्कि निर्देशिका थी–यह दूसरे नोट की भाषा से आर तक स्पष्ट है।9 जो इस शब्द का उपयोग करता है "मौखिक परीक्षा के समय कमीशन से पहले मूल प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है"–इसके अलावा, विज्ञापन के अनुसार भी, ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की तारीख को शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से होने चाहिए थे, लेकिन उन्हें प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं था–पात्रता का तथ्य उसके प्रमाण के तथ्य से अलग है–यदि किसी व्यक्ति के पास वास्तविक चयन की तारीख से पहले पात्रता है, तो उसे लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका प्रमाण बाद में प्रस्तुत किया जाता है–वर्तमान मामले में, प्रमाण उपलब्ध था और सही फोटोकॉपी रिकॉर्ड पर थी–अपीलार्थियों की उम्मीदवारी को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता था क्योंकि मूल आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था।

556

स्वीटी कुमारी बनाम बिहार राज्य 558

आरव जैन में इस न्यायालय के दिनांक 23.05.2022 के फैसले को आगे बढ़ाने के लिए

v. बिहार लोक सेवा आयोग और अन्य। सिविल अपील सं. 4242

वर्ष 2022 में, जिसमें इस न्यायालय ने बी. पी. एस. सी. द्वारा की गई याचिका को स्वीकार नहीं किया था कि मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य था क्योंकि उम्मीदवारों के पास आवेदन पत्र जमा करने की तारीख को ऐसे प्रमाण पत्र थे–आरव जैन और सात अन्य उम्मीदवारों के समान दो अपीलकर्ताओं को समान लाभ से इनकार करने का कोई कारण नहीं है–इस प्रकार, उन्हें केवल 30 वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा में रिक्तियों की अनुपलब्धता के कारण राहत नहीं देकर भेदभाव नहीं किया जा सकता है–इसके अलावा, एस. एल. पी. (सिविल) संख्या में, अपीलकर्ता 31 वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित हुआ और 501 अंक प्राप्त किए, जबकि कट ऑफ ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी में 499 थी, इसलिए उत्तरदाताओं ने एक रिक्ति को समायोजित करने के लिए कहा।[पैरा 14, 16–19, 22, 24, 27–29]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

आरव जैन बनाम बिहार लोक सेवा आयोग और अन्य। सिविल अपील सं। 2022 का 4242; चार्ल्स के. स्कारिया और अन्य बनाम डॉ. सी. मैथ्यू

और अन्य (1980) 2 एस. सी. सी. 752:[1980] 3 एस. सी. आर. 71–निर्भर।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2023 की सिविल अपील No.6072।2021 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. No.18038 में पटना में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 03.11.2021 से।

के साथ

2023 की सिविल अपील Nos.6073 और 6074।

रूपः

राधेश्याम शर्मा, दिव्यांशु पांडे, हरीश पांडे, मुकेश कुमार, मधुप कुमार तिवारी, राजेश कुमार, बृजेश कुमार, सुश्री नेहा राय, कृष्ण कुमार सिंह, मृदुल चक्रवर्ती, तुषार श्रीवास्तव,

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

अभिजीत कुमार पांडे, आदित्य सिंह–1, रमन कुमार। सिंह, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

अज़मत हयात अमानुल्लाह, टी. जी. शाही, नवीन प्रकाश, गौरव अग्रवाल, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

जे. के. माहेश्वरी, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. तत्काल तीन अपीलों में, पटना में उच्च न्यायालय द्वारा स्वीटी कुमारी बनाम बिहार राज्य और अन्य (सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 18038/2021) दिनांक 03.11.2021 में पारित निर्णय (इसके बाद "उच्च न्यायालय" के रूप में संदर्भित); विक्रमादित्य मिश्रा बनाम बिहार राज्य और अन्य (सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 3707/2020) दिनांक 04.09.2021 और अदिति बनाम बिहार लोक सेवा आयोग पटना और अन्य।(सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 15325/2022) दिनांकित 19.04.2023 को चुनौती दी जा रही है। उक्त निर्णयों द्वारा, उच्च न्यायालय ने आधिकारिक उत्तरदाताओं के निर्णय को बरकरार रखा।अपीलार्थियों की उम्मीदवारी को आधिकारिक उत्तरदाताओं द्वारा मूल चरित्र प्रमाण पत्र (स्वीटी कुमारी और विक्रमादित्य मिश्रा के मामले में) और कानून की डिग्री (अदिति के मामले में) क्रमशः प्रस्तुत नहीं करने के कारण खारिज कर दिया गया था।

3. उच्च न्यायालय ने पहले दो मामलों में आरव जैन बनाम बिहार लोक सेवा आयोग और अन्य के समान स्थिति वाले उम्मीदवार के मामले में पारित आदेश पर भरोसा करते हुए रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। (सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 24282/2019) ने 04.05.2021 पर निर्णय लिया।जबकि तीसरे मामले में, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता अदिति और अंकिता नाम के एक समान पद वाले उम्मीदवार के मामले पर सुनवाई करते हुए एक सामान्य आदेश के माध्यम से पाया कि हालांकि अपीलकर्ता अदिति का मामला अंकिता के बराबर गुण–दोष पर है, लेकिन ईडब्ल्यूएस श्रेणी में रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण अंकिता को दी गई राहत को अपीलकर्ता अदिति को नहीं दिया जा सकता है।

4. अपीलार्थी स्वीटी कुमारी, अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी की उम्मीदवार और विक्रमादित्य मिश्रा, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार, सिविल न्यायाधीश 559 के चयन के लिए आयोजित 30 वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा (इसके बाद "30 वीं परीक्षा" के रूप में संदर्भित) में उपस्थित हुए।

(जूनियर डिवीजन) 2018 के विज्ञापन संख्या 6 दिनांक 21.08.2018/23.08.2018 के अनुसार।दोनों उम्मीदवारों को अपनी संबंधित श्रेणी के लिए कट–ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने के बाद 07.01.2019 पर घोषित परिणाम और 05.10.2019 पर घोषित मुख्य परीक्षा के परिणाम के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किया गया है।इसके अनुसार, उन्हें 15.12.2019 दिनांकित पत्र के माध्यम से साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था।

5. अपीलार्थी स्वीटी कुमारी और विक्रमादित्य मिश्रा की उम्मीदवारी को साक्षात्कार के समय मूल चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण खारिज कर दिया गया था।सच्ची फोटोकॉपी बनाई गई।हालाँकि, 27.11.2019/29.11.2019 पर परिणाम घोषित करते समय, वर्तमान दो अपीलार्थियों के साथ–साथ एक आरव जैन की उम्मीदवारी को एक आम संचार द्वारा खारिज कर दिया गया था।

6. दूसरी ओर, अपीलार्थी अदिति ने 31 वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा (जिसे इसके बाद "31 वीं परीक्षा" के रूप में संदर्भित किया गया है) को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी में आवेदन किया।उन्होंने 501 अंक प्राप्त किए, जबकि कट–ऑफ 499 था।उनकी उम्मीदवारी को साक्षात्कार की तारीख पर कानून की डिग्री प्रमाण पत्र नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिया गया था।इसी आधार पर इसी तरह की उम्मीदवार अंकिता की उम्मीदवारी भी रद्द कर दी गई थी।हालांकि, अलग–अलग रिट याचिकाओं के कारण, जिन्हें एक सामान्य आदेश द्वारा निपटाया गया था, अंकिता को एससी श्रेणी में रिक्तियों की उपलब्धता के कारण उच्च न्यायालय द्वारा राहत दी गई थी, लेकिन ईडब्ल्यूएस श्रेणी में रिक्तियों की अनुपलब्धता के कारण अदिति को राहत देने से इनकार कर दिया गया था।

7. पूर्वगामी तथ्यात्मक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, हमारे सामने विचार के लिए जो प्रश्न आते हैं, वे इस प्रकार हैंः

i) क्या बिहार लोक सेवा आयोग (इसके बाद "बी. पी. एस. सी". के रूप में संदर्भित) द्वारा साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अपीलार्थियों की उम्मीदवारी की अस्वीकृति न्यायसंगत है?

(ii) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलार्थियों को क्या राहत दी जा सकती है?

8. मामले के निर्विवाद तथ्यों को संक्षेप में यह कहा जाता है कि अपीलार्थी स्वीटी कुमारी और विक्रमादित्य मिश्रा 2018 में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 6 को आगे बढ़ाने के लिए 30 वीं परीक्षा में उपस्थित हुए।

21.08.2018/23.08.2018 बीपीएससी द्वारा 349 रिक्तियों को भरने के लिए।उक्त विज्ञापन बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) भर्ती नियम, 1955 (इसके बाद "नियम" के रूप में संदर्भित) को आगे बढ़ाने के लिए जारी किया गया था।अपीलार्थी स्वीटी कुमारी ने अनुसूचित जाति श्रेणी में आवेदन किया जबकि अपीलार्थी विक्रमादित्य मिश्रा ने अनारक्षित श्रेणी में आवेदन किया।आरव जैन ने सात अन्य उम्मीदवारों के साथ क्रमशः अनारक्षित, एससी, ईबीसी और बीसी श्रेणियों में भी आवेदन किया। उनकी उम्मीदवारी को भी इसी आधार पर खारिज कर दिया गया था।उक्त अस्वीकृति को चुनौती देने पर, उच्च न्यायालय ने 2019 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 24282 में 'आरव जैन बनाम बिहार लोक सेवा आयोग और अन्य' शीर्षक से एक विस्तृत आदेश पारित किया और बी. पी. एस. सी. द्वारा अस्वीकृति को बरकरार रखते हुए उक्त याचिका को खारिज कर दिया।

9. आरव जैन के मामले में क्रमशः स्वीटी कुमारी और विक्रमादित्य मिश्रा के नेतृत्व में दायर रिट याचिकाओं को दिनांक 03.11.2021 और 04.09.2021 के विवादित आदेशों के आधार पर खारिज कर दिया गया है।

10. आरव जैन और इसी तरह के सात अन्य उम्मीदवारों ने सिविल अपील संख्या 4242 में इस न्यायालय के समक्ष अपनी–अपनी याचिकाओं का नेतृत्व किया।

2022 आरव जैन बनाम बिहार लोक सेवा आयोग और अन्य।

प्रमुख मामले के रूप में जिसका निर्णय दिनांक 23.05.2022 के एक सामान्य निर्णय द्वारा किया गया था।उक्त निर्णय द्वारा इस न्यायालय ने साक्षात्कार के समय मूल प्रस्तुत न करने के कारण उम्मीदवारी को रद्द करने के संबंध में बी. पी. एस. सी. के तर्क को खारिज कर दिया क्योंकि उनकी वास्तविक फोटोकॉपी रिकॉर्ड में थी और बाद में, मूल बी. पी. एस. सी. के समक्ष भी प्रस्तुत की गई थी। इस न्यायालय की राय थी कि साक्षात्कार के समय मूल प्रस्तुत न करने की याचिका न तो योग्यता से संबंधित है और न ही पात्रता से और राज्य द्वारा परिवीक्षा के दौरान सत्यापन और सतर्कता रिपोर्ट वैसे भी प्राप्त की जाती है।इसलिए, मूल का उत्पादन एक अनिवार्य शर्त नहीं थी।बी. पी. एस. सी. के रुख के परिणामस्वरूप उन उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया गया था जो अन्यथा योग्यता सूची में थे।इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि उम्मीदवारी की अस्वीकृति अनुचित, अन्यायपूर्ण और आवश्यक नहीं थी।11. इस न्यायालय ने अनारक्षित श्रेणी में उपलब्ध पांच रिक्तियों को समायोजित करके आरव जैन (उपरोक्त) की दीवानी अपील में आठ उम्मीदवारों को राहत दी और ईबीसी, एससी और बीसी श्रेणी से संबंधित अन्य तीन उम्मीदवारों के लिए राज्य को निर्देश दिया गया कि वे या तो उन्हें समायोजित करें।

स्वीटी कुमारी बनाम बिहार राज्य [जे. के. माहेश्वरी, जे.] 562

भविष्य की रिक्तियों के लिए जो उस समय उपलब्ध बताई गई थीं या राज्य को भविष्य की रिक्तियों से तीन पद उधार लेने की अनुमति दी गई थी, प्रत्येक संबंधित श्रेणियों में एक।यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि उक्त विज्ञापन की रिक्तियों को बदलने की शक्ति हमेशा राज्य के विवेक और विवेक के तहत नियोक्ता में निहित होती है।इस न्यायालय ने इस तथ्य को महत्व दिया कि सभी उम्मीदवारों ने कट–ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए और इसलिए, ऐसे मेधावी उम्मीदवार केवल मामलों के निपटारे में सहायता करने वाले संस्थान के लिए एक संपत्ति होंगे।इस न्यायालय ने आगे इन सभी आठ उम्मीदवारों को वेतन के बकाया के बिना उनकी योग्यता के अनुसार अन्य चयनित उम्मीदवारों के बराबर वेतन वृद्धि और अन्य काल्पनिक लाभों की अनुमति देने का निर्देश दिया।12. उक्त अपील में, ज्योति जोशी नामक व्यक्ति ने उच्च न्यायालय द्वारा 2020 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 7751 में पारित निर्णय के कार्यान्वयन में उनकी नियुक्ति के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए हस्तक्षेप के लिए एक आवेदन दायर किया और इस आशय का स्पष्टीकरण भी मांगा कि आरव जैन (उपरोक्त) में पारित अंतरिम आदेश ने उनकी नियुक्ति में हस्तक्षेप नहीं किया है।इस अदालत ने आरव जैन (ऊपर) में पारित फैसले के माध्यम से उक्त हस्तक्षेप आवेदन को खारिज कर दिया और उसे लाभ देने से इनकार कर दिया क्योंकि वह प्रतीक्षा सूची में थी और योग्यता सूची में नहीं थी।इसके अलावा, आरव जैन (उपरोक्त) में पदों को खाली रखते हुए पारित किए गए 23.02.2021, 08.10.2021 और 07.02.2022 के अंतरिम आदेश, समय से पहले होने के कारण, भी 09.02.2022 के आदेश को पारित करने से पहले उच्च न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाए गए हैं।यह स्पष्ट है कि आरव जैन (उपरोक्त) के मामले में दीवानी अपीलों का निर्णय उम्मीदवारों के पक्ष में और नियोक्ता के खिलाफ किया गया है और उक्त आदेश पहले ही लागू किया जा चुका है।

13. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (भर्ती), नियम, 1955 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) और 2018 के विज्ञापन संख्या 6 का अध्ययन किया है।नियमों के नियम 7 (बी) में विचार किया गया है कि एक उम्मीदवार को बीपीएससी को संतुष्ट करना चाहिए कि उसका चरित्र ऐसा है जो उसे सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य बनाता है।नियम 9 में निर्धारित किया गया है कि उम्मीदवार को शैक्षिक योग्यता के प्रमाण के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए; कॉलेजों के प्रमुखों से चरित्र का प्रमाण पत्र, जहां उन्होंने अध्ययन किया है; दो ज्ञात व्यक्तियों का संदर्भ; निर्धारित प्रपत्र में चिकित्सा व्यवसायी का प्रमाण पत्र; और संबंधित अधिकारियों से अभ्यास की अवधि का प्रमाण पत्र।नियम 9 का दूसरा नोट इंगित करता है कि प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों को

मूल की वास्तविक प्रतियां होनी चाहिए और उनमें से प्रत्येक को राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, यह निर्दिष्ट करते हुए कि मूल को देखने के बाद, उन्होंने उसी की वास्तविक प्रति को प्रमाणित किया।उम्मीदवार को मौखिक परीक्षा के समय बी. पी. एस. सी. के समक्ष मूल प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है।

14. नियमों में इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि उम्मीदवार को अच्छे चरित्र का होना चाहिए ताकि बी. पी. एस. सी. को इस संबंध में सही फोटोकॉपी जमा करके संतुष्ट किया जा सके और बी. पी. एस. सी. द्वारा आवश्यकता पड़ने पर मूल को मौखिक परीक्षा के समय प्रस्तुत किया जा सके।इसलिए, यह स्पष्ट है कि उम्मीदवार के पास चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो इसे साक्षात्कार के समय उपलब्ध कराया जा सकता है।उक्त भाषा यह स्पष्ट करती है कि साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र का उत्पादन अनिवार्य नहीं है, बल्कि निर्देशिका है।यह दूसरे नोट की भाषा से लेकर नियम 9 तक स्पष्ट है जो इस शब्द का उपयोग करता है "वाइवा–वॉयस टेस्ट के समय कमीशन से पहले मूल प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है"।

15. नियमों को आगे बढ़ाते हुए, 2018 का विज्ञापन संख्या 6 जारी किया गया था।उक्त विज्ञापन का खंड 7 (ii) ऑनलाइन आवेदनों के बारे में है जो यह निर्धारित करता है कि ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान उम्मीदवार द्वारा की गई प्रविष्टि में किसी भी दोष के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा, और इस संबंध में सुधार और परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।विज्ञापन के खंड 8 (1) के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को साक्षात्कार के समय या किसी भी समय आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जा सकता है।खंड 9 के अनुसार, योग्यता निर्धारण के संबंध में प्रमाण पत्र अंतिम तिथि से पहले होना आवश्यक है।खंड 10 के अनुसार, सभी प्रमाण पत्र और अंकपत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होती है और आयोग को उक्त निर्देशों का पालन नहीं करने वाले उम्मीदवारों की पात्रता के बारे में निर्णय लेने का विवेकाधिकार होगा। विज्ञापन का खंड 11 इस तथ्य से संबंधित है कि उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास आवेदन पत्र भरने के समय मूल रूप से सभी आवश्यक प्रमाण पत्र हैं।

16. विभिन्न खंडों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यहां तक कि विज्ञापन के अनुसार भी, ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की तारीख को शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपने पास होने चाहिए, लेकिन इसे प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है।उम्मीदवारों को भेजे गए साक्षात्कार पत्र के खंड 3 में, वास्तव में यह उल्लेख किया गया था कि वे प्रमाण पत्र, अंक–पत्र 563 के साथ उपस्थित होंगे।

और मूल रूप में चरित्र प्रमाण पत्र और दो संख्याओं में इसकी स्व–सत्यापित फोटोकॉपी सहित अन्य दस्तावेज।अपीलार्थी स्वीटी कुमारी ने रिट याचिका और विशेष अनुमति याचिका में कहा है कि उनके मूल चरित्र प्रमाण पत्र राज्य बार काउंसिल में प्रस्तुत किए गए थे और उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं कराया गया था।दूसरी ओर, अपीलार्थी विक्रमादित्य मिश्रा ने कहा है कि उनके लॉ कॉलेज के विभाग ने मूल चरित्र प्रमाण पत्र को डाक द्वारा परीक्षा नियंत्रक, बी. पी. एस. सी. को भेजा है जिसे 25.11.2019 पर भेजा गया था और 27.11.2019 पर बी. पी. एस. सी. को वितरित किया गया था।इसके बावजूद, चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रतियों के अभाव में उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया गया था।

17. आरव जैन (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने बी. पी. एस. सी. द्वारा की गई याचिका को स्वीकार नहीं किया है कि मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य था क्योंकि उम्मीदवारों के पास आवेदन पत्र जमा करने की तारीख को ऐसे प्रमाण पत्र थे। इस न्यायालय की राय थी कि एक बार ऐसी शर्त अनिवार्य नहीं होने पर, साक्षात्कार के समय मूल प्रतियों को प्रस्तुत न करना योग्यता में रखे गए उम्मीदवार की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

18. इस न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण इस में दिए गए सादृश्य द्वारा पुष्ट किया गया है

(1980) 2 एस. सी. सी. 752 जिसमें न्यायालय की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने कहा कि पात्रता का तथ्य उसके प्रमाण के तथ्य से अलग है।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि किसी व्यक्ति के पास वास्तविक चयन की तारीख से पहले पात्रता है, तो उसे लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका प्रमाण बाद में प्रस्तुत किया जाता है। 19. वर्तमान मामले में, सबूत उपलब्ध है और सही फोटोकॉपी रिकॉर्ड पर थी।अपीलार्थियों की उम्मीदवारी को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता था क्योंकि मूल को साक्षात्कार के समय आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था, विशेष रूप से जब ऐसी आवश्यकता अनिवार्य नहीं थी, जिस तरह से नियम बनाए गए हैं।

20. अब, एस. एल. पी. (सिविल) संख्या 16749/2023 में अपीलार्थी अदिति के मामले में आते हुए, उसने वित्तीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है लेकिन उसे कानून की डिग्री का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था।उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के विवादित आदेश में अपने तर्क का समर्थन करने के लिए चार्ल्स के. स्कारिया (उपरोक्त) के फैसले पर भरोसा किया है और कहा है कि जब उम्मीदवार के पास उस तारीख को आवश्यक आवश्यक योग्यता होती है जिस दिन इसकी आवश्यकता होती है,

तब महामारी के कारण प्रमाण पत्र के देर से आगमन को स्वीकार नहीं करने में कोई औचित्य नहीं हो सकता है।हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस बहाने से राहत देने से इनकार कर दिया कि उन्होंने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आवेदन किया था, जिसके लिए 23 पद निर्धारित किए गए थे और उन पदों को पहले ही निर्धारित किया जा चुका है।उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि हालांकि उन्होंने 501 अंक प्राप्त किए हैं जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए कट ऑफ से 2 अंक अधिक थे, लेकिन यह ज्ञात नहीं था कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में अंतिम सफल उम्मीदवार कौन हो सकता है।साथ ही विवादित आदेश पारित होने के समय उन पदों को पहले ही समाप्त कर दिया गया था।इस प्रकार पदों की अनुपलब्धता के कारण राहत देने से इनकार कर दिया गया।

21. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1 के आदेश द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, पटना में उच्च न्यायालय के महापंजीयक ने बिहार राज्य और बी. पी. एस. सी. द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों को देखने के बाद एक हलफनामे का नेतृत्व किया। उक्त हलफनामे में यह स्वीकार किया गया है कि अपीलार्थी स्वीटी कुमारी और विक्रमादित्य मिश्रा का मामला आरव जैन (उपरोक्त) के मामले के समान है।उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अनुसूचित जाति श्रेणी की अपीलार्थी स्वीटी कुमारी ने 414 अंक प्राप्त किए जब कट–ऑफ 405 अंक थी और अनारक्षित श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले अपीलार्थी विक्रमादित्य ने 543 अंक प्राप्त किए जबकि अनारक्षित श्रेणी के तहत कट–ऑफ 517 अंक थी।यह भी उचित रूप से कहा गया है कि 30 वीं परीक्षा में कुल रिक्तियां 349 थीं, लेकिन इस न्यायालय द्वारा निर्देश जारी करने के बाद, राज्य ने 351 उम्मीदवारों को भविष्य की रिक्तियों से ईडब्ल्यूएस और एससी श्रेणी के एक–एक पद को काटते हुए नियुक्त किया, जिन्हें 32 वीं परीक्षा के तहत विज्ञापित किया जाना था।

22. अपीलार्थी की विद्वान वकील स्वीटी कुमारी ने इस न्यायालय के समक्ष उचित रूप से कहा है कि वह अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत 31 वीं परीक्षा में चुनी गई और सेवा में शामिल हुई।ऊपर की गई चर्चा और महापंजीयक के नेतृत्व में एफ़. आई. डी. एफ़. आई. को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी स्वीटी कुमारी और अपीलार्थी विक्रमादित्य मिश्रा का मामला आरव जैन और अन्य सात उम्मीदवारों के मामले के बराबर है, जिन्हें इस न्यायालय के दिनांक 1 में दिए गए फैसले को आगे बढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था।

आरव जैन (ऊपर)।

23. आरव जैन (उपरोक्त) में अपीलार्थियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा 32 वीं परीक्षा से उन अतिरिक्त रिक्तियों को उधार लेकर 30 वीं परीक्षा में विज्ञापित रिक्तियों की संख्या बढ़ाने के लिए की गई है।32 वीं परीक्षा के लिए अधिसूचित रिक्तियां 565 होने की प्रक्रिया में हैं।

और चला गया।अपीलार्थी स्वीटी कुमारी और विक्रमादित्य मिश्रा के मामले को उच्च न्यायालय ने अपने पहले के फैसले के आधार पर खारिज कर दिया था।

04.05.2021 आरव जैन बनाम बिहार लोक सेवा आयोग (सीडब्ल्यूजेसी)

नं. 24282/2019)।उक्त दिनांकित 04.05.2021 के फैसले को आरव जैन और सात अन्य उम्मीदवारों द्वारा विशेष अनुमति याचिकाओं द्वारा चुनौती दी गई थी।उक्त विशेष अनुमति याचिकाओं को दीवानी अपीलों में परिवर्तित कर दिया गया था और इस न्यायालय ने 23.05.2022 के फैसले के माध्यम से उच्च न्यायालय के 04.05.2021 के फैसले को निर्धारित किया।

24. इसलिए, आरव जैन (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के आदेश के अनुसार आरव जैन और सात अन्य उम्मीदवारों के बराबर वर्तमान दो अपीलार्थियों को समान लाभ से इनकार करने का कोई कारण नहीं हो सकता है।हमारा विचार है कि वर्तमान में दो अपीलार्थियों (स्वीटी कुमारी, विक्रमादित्य मिश्रा) को केवल 30 वीं परीक्षा में रिक्तियों की अनुपलब्धता के कारण राहत नहीं देकर भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

25. 31 वीं परीक्षा से संबंधित अपीलार्थी अदिति के मामले में, महापंजीयक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार, यह स्पष्ट है कि विज्ञापित 221 रिक्तियों में से केवल 214 उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई थी और सात रिक्तियों को 32 वीं परीक्षा के लिए आगे बढ़ाया गया है।इस प्रकार, ऐसी रिक्तियां हैं, जिन्हें 32 वीं परीक्षा के लिए अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है।चयन की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।बिहार राज्य और बी. पी. एस. सी. की ओर से पेश विद्वान वकील ने मामले के विशिष्ट तथ्यों में निष्पक्ष रूप से कहा है कि आरव जैन (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के कारण, संबंधित श्रेणियों की योग्यता में कट–ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अन्य उम्मीदवारों को समायोजित किया जा सकता है।हालाँकि, इस न्यायालय द्वारा निर्देश जारी होने पर, राज्य सरकार उन सभी तीन उम्मीदवारों (स्वीटी कुमारी, विक्रमादित्य मिश्रा और अदिति) को समायोजित करने के लिए तैयार है, जिन्होंने अपनी–अपनी श्रेणियों के लिए कट–ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

26. ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि स्वीटी कुमारी ने 414 अंक प्राप्त किए, हालांकि अनुसूचित जाति श्रेणी में कट ऑफ 405 था और विक्रमादित्य मिश्रा ने 543 अंक प्राप्त किए, हालांकि 30 वीं परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी में कट ऑफ 517 था और वे योग्यता के उम्मीदवार थे, उन्हें आरव जैन (उपरोक्त) और अन्य के बराबर लाभ दिया जाए।

27. अपीलार्थी अदिति ने 31 वीं परीक्षा में भाग लिया और 501 अंक प्राप्त किए, जबकि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में कट ऑफ 499 था। इसलिए, उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे उसी परीक्षा के लिए या अगली परीक्षा से ईडब्ल्यूएस की एक रिक्ति को समायोजित करें और अदिति को भी इसी तरह का लाभ दें।

आरव जैन (ऊपर) का अनुपात।

28. तदनुसार, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 03.11.2021, 04.09.2021 और 19.04.2023 के विवादित निर्णयों को निर्धारित करते हैं।अपीलार्थी स्वीटी कुमारी और विक्रमादित्य मिश्रा को 30 वीं परीक्षा में सफल उम्मीदवार के रूप में समायोजित किया जाएगा और अपीलार्थी अदिति को 31 वीं परीक्षा में सफल उम्मीदवार के रूप में समायोजित किया जाएगा।29. हम स्पष्ट करते हैं कि यह निर्णय मामले के विशिष्ट तथ्यों में पारित किया गया है ताकि उन उम्मीदवारों के साथ भेदभाव की याचिका को कम किया जा सके जो हमारे सामने हैं और जिन्होंने समय के भीतर अदालत का दरवाजा खटखटाया है।यहाँ यह

स्पष्ट किया गया है कि समान रूप से स्थित उम्मीदवार आगे उसी लाभ का दावा करने के हकदार नहीं होंगे, क्योंकि वे उचित समय के भीतर इस न्यायालय के समक्ष नहीं आए हैं।

30. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलों की अनुमति दी जाती है।लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपीलों की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे